

R.No.30.  
29.8.89

**कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर**

**:: कार्यालय आदेश ::**


अंग्रेजी माध्यम एवं एन०सी०ई०आर०टी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संवालि एच०जे०एच० जनाता कॉलोनी जयपुर को उच्च प्राथमिक स्तर की स्थाई मान्यता दिनांक 1.7.89 से प्रदान की जाती है । विभागीय नियमों की पालना न करने पर स्थाई मान्यता रद्द की जा सकती है ।

1/-  
संवालि के० पंचार  
निदेशक,  
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिबिरा/प्राथ/सी/19680/104/88-89 दिनांक 21/8/89  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है :-

- 1] संयुक्त निदेशक [शुभ] शिक्षा विभाग जयपुर ।
- 2] जिला शिक्षा अधिकारी [खत्र संस्थाएँ] लुण्ड प्रथम जयपुर ।
- 3] सचिव, एच०जे०एच० जनाता कॉलोनी जयपुर ।
- 4] अनुभाग अधिकारी, अनुभाग, शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर ।
- 5] एमिड संयुक्त ।

  
संयुक्त निदेशक [प्राथमिक]  
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा